अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त के सभागार Conference Hall में पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड के सहयोग तथा आयोग द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधतन की गयी प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 07.01.2025 (मंगलवार) को पूर्वाहन् 11.30 बजे संपन्न बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1) श्री ए0पी0 सिंह, अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड रांची।
2) श्री हरीश्वर दयाल, सदस्य, पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड रांची।
3) श्री दीपक कुमार दूबे, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड रांची।
4) श्री अतुल कुमार, अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड रांची।
5) श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड रांची।

सर्वप्रथम समीक्षा बैठक में अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग द्वारा मेमोरेंडम की उपलब्धता पर नगर विकास विभाग से जानकारी ली गई। प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि कतिपय कार्य हुआ है। लेकिन data adequate उपलब्ध नही है । प्रशासी विभाग आयोग को **एक interim status शीघ्र** उपलब्ध करायेगा।

2. प्रशासी विभाग ने 74वां Amendment के शिड्यूल–12 के तहत अंकित 18 विन्दुओं पर शक्तियों का विभागों द्वारा प्रत्यायोजन पर चर्चा की । अध्यक्ष पंचम वित्त आयोग ने कई तरह के कार्यों को अन्य विभागों द्वारा किए जाने की बात उठाई। जैसे पेयजल का कार्य पेयजल स्वच्छता विभाग भी करता है उसी तरह से पब्लिक हेल्थ फेमिली सर्विसेज संकृति एवं शिक्षा का कार्य भी अन्य विभागों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यूएलबी के वास्तविक स्थिति से आयोग को अवगत कराया जाय। अन्य राज्यों का अध्ययन कर तथा effective अधतन स्थिति के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित है। प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि ULBs द्वारा शक्तियॉ प्रत्यायोजन की गई है। लेकिन अन्य विभागों के साथ कतिपय कार्यों की Overlapping है तथा स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3. नगर विकास विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में **नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण** केन्द्र सरकार के द्वारा **राज्य को राशि उपलब्ध नहीं कराई** गयी है। यह प्रक्रिया मई/जून के पूर्व प्रारंभ होने की संभावना है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश के क्रम में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया प्रगति में है। पूर्ण होने पर ही अग्रतर कार्रवाई संभव है।

4. राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न प्रयासों पर चर्चा करने के क्रम में विभाग द्वारा बताया गया कि आरएमसी (RMC) द्वारा ड्रोन बेस्ड प्रोपर्टी/होडिंग सर्वे पर विचार किया जा रहा है। प्रशासी विभाग को एफिसिंएन्सी (efficiency) एवं तकनीकी आधारित सर्वे पर प्रथम "**पायलट प्रोजेक्ट**" किया जाए तथा इसके अच्छे परिणाम को संपूर्ण राज्य में प्रभावी किया जाए।

(ii) प्रशासी विभाग Expert Agency को engage कर एक राजस्व बढ़ोत्तरी की नीतियों का स्टडी एव evidence बेस्ड अध्ययन उड़िसा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/कर्नाटक/तेलंगाना इत्यादि का कर अपने राज्य में इसके ऐसे फलाफल जो स्वीकार योग्य हो, उसे अपने नियमों में अपने राज्य में शामिल/संशोधन पर विचार करना चाहिए।

(iii) प्रशासी विभाग occupancy certificate निर्गत करने की समीक्षा करना चाहेगा। एक स्टेटस रिर्पोट नक्सा पास, occupancy certificate निर्गत का 5 वर्ष का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध करायें। साथ ही साथ No of holding created since 2015 and occupancy certificate issued का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। इस पर existing Stamp duty से संबंधित विभागीय संकल्पों के संबंध में प्रशासी विभाग अगतर कार्रवाई करना चाहेगा। क्या Pre-registration (Just Construction Start), Final Registration का कोई प्रावधान है हाँ तो No of Flats/building made and sold का निबंधन हुआ/नहीं track करने की क्या व्यवस्था है?

(iv) Surcharge on stamp duty एवं अन्य प्रावधान जिसका अनुपालन अधतन नहीं हो रहा है, मुनिसिपल एक्ट के प्रावधान के साथ स्पष्ट किया जाए। इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस विन्दु को ज्ञापांक– 24 दिनांक– 05.04.2024 द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया था। इसमें क्या प्रगति हुई स्पष्ट करें।

(v) नगर निगमों द्वारा निर्गत **ट्रेड लाईर्सेस तथा उसका रिनुअल किया** जाता है, क्या Profession tax and Trade license एक समान है अथवा दोनों (Trade versus Professional) अलग अलग है? इसे स्पष्ट किया जाए। मेरा धनबाद मुनिसिपल कार्रपोरेसन के पदाधिकारी के साथ विमर्श के क्रम में यह संदेह प्रकाश में आया था।

(vi) आयोग द्वारा निर्गत **विभिन्न पत्रों द्वारा मांगी गई सूचनाओं पर विचार** किया जाए, तथा उसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में अंतिम पत्राचार पत्रांक 249 दिनांक 10.12.2024 द्वारा किया गया है।

(vii) नगर निकायों का वित्तीय डाटा MoHUA के साईट "City Finance" पर उपलब्ध रहती है। इससे प्रशासी विभाग डाटा प्राप्त कर,सत्यापित कर, आयोग को उपलब्ध करा सकता है।

(viii) **शहरी विकास विभाग से संबंधित आरबीआई (RBI)** की ताजा रिर्पोट जो मात्र Municipal corporation पर आधारित हैं। रिर्पोट के अनुसार महाराष्ट्र में ओएसआर (OSR) के माध्यम से मात्र मुनिसिपल कारपोरेसन का **15000 करोड़ का सरपल्स है**। झारखण्ड के मामले में स्थिति नकारात्मक राजस्व दर्शाता है। **राजस्व संग्रह** के मामले **में पड़ोसी राज्यों उड़िसा/मध्य प्रदेश** का झारखण्ड से अच्छा प्रर्दशन हो रहा है। इस पर विचार किया जाए। ऐसे अन्य राज्यों की best practices का अध्ययन

कर लागू करने पर विचार किया जा सकता है। RBI की इस रिर्पोट का सभी डाटा MoHUA में संकलित डाटा "City Finance" पर आधारित है।

(ix) प्रशासी विभाग ने बताया कि **Building By Laws का उल्लधन कर बिना competent authority** के approval के विल्डिंग construction हुआ है, कभी कभी प्रशासी विभाग उसके regularization की प्रक्रिया करता है। इस संबंध में simplified rule based process को adopt करना चाहिए। इस संबंध में अन्य राज्यों की best practice का अध्ययन किया जा सकता है।

(x) प्रशासी विभाग के नियमावली में **कतिपय होल्डिंग को property tax मुक्त रखा** गया है, उसको Accounting process में सही तरिके से शामिल करना आवश्यक है। इस पर निगरानी की भी आवश्यकता है। क्या ऐसी होल्डिंग डाटा बेस में शामिल है? यह कुल होल्डिंग का कितना प्रतिशत (%) है?

5. राज्य के नगर निकायों की आबादी की डेनसिटी (Density) स्पष्ट करने का अनुरोध प्रशासी विभाग से किया गया है। इसमें infrastructure, transport, waste management environment friendly status का आकलन किया जाए। यह व्यौरा नगर निकायवार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ विभिन्न नगर निकाय में स्थिति यथा पार्क, बाजार, हाट, बारातघर, waterbodies/सैरात/लॉज/होटल/कार्यरत महिला हॉस्टल/रैन बसेरा इत्यादि का डाटा भी नगर निकायवार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इससे प्रशासी विभाग को Composite and Comprehensive Planning करने में मदद मिलेगी।

6. यह भी सुझाव दिया गया कि **पड़ोसी राज्यों का अध्ययन/भ्रमण/दौरा** कर विभिन्न राज्यों की **बेस्ट प्रैक्टिस** (Best practice) को अपनाने का विचार किया जाए।

7. नगर विकास विभाग के पास **यूएलबी (ULB) के प्रतिनिधि** तथा पदाधिकारी हेतु **कोई प्रशिक्षण संस्थान** नहीं है। कोलकाता मुनिसिपल कार्पोसन का प्रशिक्षण केन्द्र का अध्ययन तथा अन्य राज्य के अध्ययन पर प्रशासी विभाग ऐसी एक संस्था बनाने पर विचार कर सकता है। यह अतिआवश्यक है।

8. विभिन्न नगर निकाय को establishment grant को कबतक (निर्धारित अवधि) तक दिया जाएगा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। यह नगर निकाय वार यह ब्यौरा इस संबंध में उपलब्ध कराया जायं। गत 5 वर्ष में कितना deficit नगर निकाय वार रहा। इसे Actual term में दें।

(ii) किस–किस श्रेणी/पदनाम के कर्मी विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन कार्य नगर निकाय के लिए करते हैं इसे स्पष्ट किया जाए। प्रत्येंक नगर निकाय का प्रतिवर्ष क्या अनुमानित व्यय होता है?

9. **OSR से संबंधित सभी संकल्प/परिपत्र/आदेश की** प्रतियां भी उपलब्ध कराया जाए। क्या कोई यूएलबी (ULB) है जो उक्त का पालन नही कर रहा है?

10. झारखण्ड मुनिसिपल एक्ट 2011 कब से लागू है, तिथिनुसार स्पष्ट करें? उसके पूर्व क्या एक्ट/रूल्स थे, उसे भी स्पष्ट करें?

(ii) यूएलबी का **प्रथम चुनाव कब हुआ** तथा निर्वाचित यूएलबी (ULB) कब से प्रभावी हुई? क्या यह यूएलबीबार अलग–अलग है?

(iii) प्रथम निर्वाचन के बाद कब–कब चुनाव हुआ, तथा निर्वाचित यूएलबी कब से कबतक प्रभावी रही ? क्या यह नियमित निर्वाचन के बीच में से किसी कारण से By election किसी नगर निकाय में हुआ तथा उसका कारण क्या था?

(iv) जेन्डरवाईज तथा केटेगिरीवाईज, (Reservation आधारित) विभिन्न निर्वाचन में कितने निर्वाचित प्रतिनिधि रहे? इससे संबंधित नियम क्या है?

(v) Standing committees के functional रहने की क्या स्थिति है। क्या इसकी monitoring प्रशासी विभाग द्वारा की जाती है?

(vi) Ward Commissioner का क्या प्रमुख रोल होता है?

11. अधतन मुनिसिपल एक्ट/रूल्स/संकल्प/परिपत्र/आदेंश विषयवार ईडैक्स बनाकर उपलब्ध कराया जाय।

12. Public Grievance Redressal की क्या व्यवस्था विभाग तथा यूएलबी में स्थापित है?

13. Right to service Act के implementation की क्या status है? विभिन्न स्तरों पर क्या–क्या दायित्व इसके अधीन आच्छांदित है?

14. Transparent Governance के लिए क्या disclosure norms है? क्या कोई unified portal है? क्या कोई Standard Practice अधिसूचित है?

15. स्थापना मामलों पर एक संक्षिप्त नोट दें जिसमें Category of employees/officers, controlling authority disciplinary authority service rules की स्थिति स्पष्ट करें।

16. Six waste rule implementation का status क्या हैं। एक comprehensive report दें।

17. Per capita tax कौन ULB सर्वाधिक संग्रह करती है? तीन वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) का औसत के साथ स्थिति स्पष्ट किया जाए।

18. प्रशासी विभाग निम्न स्पष्ट करना चाहेगा :–

(i) प्रथम SFC की रिर्पोट विधान सभा के पटल पर कब रखी गई तथा किन–किन अनुशंसाओं को विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया? उक्त संबंधित पत्र की प्रतियां उपस्थापित किया जाए।

(ii) ATR क्या विधान सभा द्वारा अनुमोदित है? ATR की प्रति उपलब्ध कराया जाए।

(iii) ATR के अनुपालन की क्या स्थिति है?

सधन्यबाद बैठक समाप्त हुई।

(हरीश्वर दयाल)
07.01.2025
सदस्य
राज्य वित्त आयोग

(ए.पी.सिंह)
07/01/25
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग

झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– वित्त(SFC) कार्यवाही/ 18 वि0आ0 रांची, दिनांक 17.01.2025

प्रतिलिपिः **प्रधान सचिव**, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 17-01-25

(कौशल किशोर झा)
उप सचिव,
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– वित्त(SFC) कार्यवाही/ 18 वि0आ0 रांची, दिनांक 17.01.2025

प्रतिलिपिः **सचिव**, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के सूचनार्थ प्रेषित।

कौशल 17-01-25

(कौशल किशोर झा)
उप सचिव,
राज्य वित्त आयोग